रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 28, 2017/अग्रहायण 7, 1939
No. 960] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 28, 2017/AGRAHAYANA 7, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 1462(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989, का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम का प्रारुप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, आसाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) तारीख 29 अगस्त, 2017 में भारत सरकार की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1117(अ), की अधिसूचना द्वारा उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की समाप्ति की अवधि से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी ;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारुप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) और उप-धारा 1(14) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से दो मास पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. मोटर यान नियम, 1989 में अंत में नियम, 128 में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि इस नियम के उपबंध पर्य़टक बसों के लिए लागू नहीं होंगे जो एआईएस : 52, एआईएस: 119 या एआईएस: 139 के उपबंधों के अनुपालन करती हों ।"।

[फा. सं. आरटी-11028/06/2017-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 1433(अ), तारीख 20.11.2017 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2017

G.S.R. 1462(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1117 (E), dated the 29th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2017;

AND, whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (9) and (14) of section 88 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on and after two months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 in rule 128 at the end, after first proviso, the following proviso shall be inserted namely—

"Provided further that provisions of this rule shall not apply to tourist buses which comply with the provisions of AIS:52, AIS:119 or AIS:139." .

[F. No. RT-11028/06/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1433(E), dated 20.11.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.01 14:15:16 +05'30'